न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

मिसल संख्या – 151 / 2021

निर्णय दिनांक – 16/6/2021

उनवानी प्रार्थना पत्र –

1. अम्बालाल पुत्र नन्दाराम जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. कन्हैयालाल मोरलिया पुत्र नन्दाराम जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. जयप्रकाश ठागरिया पुत्र प्रभूलाल जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. प्रभूलाल पुत्र प्रतापराम जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. रमेशचन्द गण्डवाल पुत्र धन्नालाल जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. राजेन्द्र कुमार ठागरिया पुत्र मूलचन्द ठागरिया जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. सत्येन्द्र बदलोटिया पुत्र मोहनलाल जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 1770 खसरा नम्बर 5690 / 2977 रकबा 0.85 है0 व खाता संख्या 411 खसरा नम्बर 2986 रकबा 0.85 है0 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है व पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नही है।

अतः जमाबंदी संवत् 2074–77 में अंकित आराजी खाता संख्या 1770 खसरा नम्बर 5690 / 2977 रकबा 0.85 है0 व खाता संख्या 411 खसरा नम्बर 2986 रकबा 0.85 है0 वाके ग्राम देवलीगांव की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमीश्नर बनाया जाता है और मौका कमीश्नर फीस 1000 / – रू0 निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
देवली